

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 जनवरी 2012—पौष 22, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र. एफ बी-1-24-2011-2-पांच-(4).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 63 के साथ पठित धारा 62 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (घ) तथा (ज) तथा उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. शब्द “विनिर्माण भाण्डागार” सम्पूर्ण नियमों में जहाँ कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द “बोतल भराई इकाई” स्थापित किए जाएं.
2. नियम 2 में,—
 - (एक) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(क) “बोतल भराई इकाई” से अभिप्रेत है ऐसा भवन या स्थान जहाँ कि देशी मदिरा के विनिर्माण हेतु परिशोधित स्पिरिट प्राप्त की जाए, उसकी शक्ति कम की जाए, निर्गम शक्ति पर बोतल बंद की जाए, सीलबंद की जाए और भण्डारण (स्टोरेज) भाण्डागार को निर्गमित की जाए.”.
 - (दो) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

(ग) “भाण्डागार” से अभिप्रेत है भण्डारण (स्टोरेज) भाण्डागार.”.
 - (ग-1) “भारसाधक, अधिकारी” से अभिप्रेत है किसी बोतल भराई इकाई में संक्रियाओं का पर्यवेक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया उप निरीक्षक की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी;”.
3. नियम 3 में, उप नियम (4) में शब्द “लागत मूल्य” के स्थान पर, शब्द “शोक विक्रय मूल्य” स्थापित किए जाएं.
4. नियम 4 में, उप नियम (12) के खण्ड (ग) तथा (घ) का लोप किया जाए.
5. नियम 5 में,
 - (एक) उप नियम (1) में, शब्द “निर्गम मूल्य” के स्थान पर, शब्द “उत्पाद शुल्क” स्थापित किए जाएं;

(दो) उप नियम (2) में शब्द "निर्गम मूल्य" के स्थान पर, शब्द "उत्पाद शुल्क" स्थापित किए जाएं;

(तीन) उप नियम (3) के खण्ड (ख), (ग) तथा (घ) का लोप किया जाए.

6. नियम 10 में, विद्यमान परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

परन्तु बोतल भराई इकाई से भाण्डागार तक बोतल बंद देशी मदिरा के समस्त परिवहन के लिए, दूरी को विचार में लाए बिना अधिकतम छीजन छूट कांच की बोतलों के लिए 0.25 प्रतिशत तथा पेट बोतलों के लिए 0.1 प्रतिशत होगी."

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2011 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2012

क्र. बी-1-24-2011-2-पांच (4).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-24-2011-2-पांच (4), दिनांक 12 जनवरी 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 12th January 2012

No.F-B-1-24-2011-2-V (4).—In exercise of the powers, conferred by sub-section- (1) and clause (d) and (h) of sub-section (2) and proviso to sub-section (3) of Section 62 read with Section 63 of Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes following further amendments in the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. For the words "manufacturing warehouse", wherever it occurs, throughout the rules, the words "bottling unit" shall be substituted.
2. In rule 2,
 - (i) For clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
"(a) "Bottling Unit" means a building or place wherein rectified spirit for the manufacture of country liquor is received, stored, reduced, bottled at issue strength, sealed and issued to storage warehouse.";
 - (ii) For clause (c), the following clauses shall be substituted, namely:—
"(c) "Warehouse" means "a storage Warehouse";
(c-1) "Officer-in-charge" means an Excise officer not below the rank of Sub Inspector appointed for supervising operation in a bottling unit,".
3. In rule 3, In sub-rule (4), for the words "cost price", the words "wholesale price" shall be substituted.
4. In rule 4, Clauses (c) and (d) of sub-rule (12) shall be omitted.
5. In rule 5,
 - (i) In sub-rule (1), for the words "issue price," the words "excise duty" shall be substituted;
 - (ii) In sub-rule (2), for the words "issue price", the words "excise duty" shall be substituted;
 - (iii) Clauses (b), (c) and (d) of sub-rule (3) shall be omitted.
6. In rule 10, for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that maximum wastage allowance for all transport of bottled country liquor from the Bottling Unit to the warehouse shall be 0.25 percent for glass bottles and 0.1 percent for PET bottles irrespective of distance."

This amendment shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2011.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R .K. YADAV, Addl. Secy.